न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, लखीमपुर–खीरी

परिवाद सं0–4899/2023

सीमा बनाम करन आदि

CNR No UPLP10014509-2023

<u>17.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उपस्थित कोई नहीं है। न ही परिवादिनी की तरफ से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। पत्रावली बयान परिवादिनी अं0धारा–200 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है, किन्तु न तो परिवादिनी द्वारा अपना बयान अंकित कराया गया है तथा न ही उसकी तरफ से किसी भी साक्षी को परीक्षित कराया गया है। तत्पश्चात् परिवादिनी विगत लम्बी अवधि से अनुपस्थित चली आ रही है। परिवादिनी को कई बार अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी परिवादिनी अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को परिवाद कार्यवाही को आगे संचालित किये जाने में कोई रुचि नहीं रह गयी है। पत्रावली पर इस स्तर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं है, जिससे अभियुक्तगण को किसी भी अपराध में तलब किये जाने का आधार बन सके। अतः परिवाद अंतर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 एवं बल अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्रद्धा भारतीय)
यू0पी01964
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी, खीरी।
17.07.2026